प्रेस विज्ञप्ति

29/06/206

भारतीय रिज़र्व बैंक ने टूरस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में फेमा के उल्लंघनों हेतु शमन (कमपाउंडिंग) आदेश जारी किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने टूरस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत शमन (कमपाउंडिंग) आदेश जारी किया है। इस आदेश के परिणामस्वरूप कंपनी के विरुद्ध फेमा, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए शमन (कमपाउंडिंग) आदेश उल्लंघनों के संबंध में कार्यवाही समाप्त हो गई है। उक्त आदेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से "अनापत्ति" प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात् पारित किया गया है।

इस मामले में, प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर ईडी ने फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जाँच प्रारंभ की। जाँच पूर्ण होने के पश्चात् ईडी ने फेमा की धारा 16 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित उल्लंघनों की ओर संकेत किया गया, जिनका शमन (कमपाउंडिंग) आदेश किया गया है:

(i) तत्कालीन लागू फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची-1 के पैरा 9(1)(क) के प्रावधानों का उल्लंघन, विदेशी आवक प्रेषण की रिपोर्टिंग में विलंब किए जाने के कारण, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2(ख) में वर्णित है। उक्त उल्लंघन ₹28,05,125/- की राशि से संबंधित है।

(ii) तत्कालीन लागू फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची-1 के पैरा 9(1)(ख) के प्रावधानों का उल्लंघन, फॉर्म एफसीजीपीआर प्रस्तुत करने में विलंब किए जाने के कारण, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2(ग) में वर्णित है। उक्त उल्लंघन ₹1,86,91,350/- की राशि से संबंधित है।

(iii) तत्कालीन लागू फेमा 395/2019-आरबी के विनियमन 3.1(1)(क)(2) के प्रावधानों का उल्लंघन, प्रेषण प्राप्त होने के उपरांत शेयर जारी करने में विलंब किए जाने के कारण, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2(घ) में वर्णित है। उक्त उल्लंघन ₹547/- की राशि से संबंधित है।

कंपनी द्वारा तत्पश्चात् फेमा की धारा 15 के प्रावधानों के अंतर्गत उपर्युक्त उल्लंघनों के शमन (कमपाउंडिंग) आदेश हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक से संदर्भ प्राप्त होने पर प्रवर्तन निदेशालय ने अधिनियम की भावना के अनुरूप उक्त कमपाउंडिंग के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर दिनांक 18.06.2026 को शमन (कमपाउंडिंग) आदेश पारित करते हुए ₹26,950/- की एकमुश्त राशि के भुगतान पर उपर्युक्त उल्लंघनों का शमन (कमपाउंडिंग) आदेश कर दिया। फलस्वरूप, कंपनी के विरुद्ध फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत उपर्युक्त उल्लंघनों के संबंध में लंबित निर्णय कार्यवाही समाप्त हो गई।